श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11-03-2019 को सम्पन्न विकास से संबंधित जिला समन्वय समिति एवं आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को स्वच्छ निष्पक्ष एवं भयमुक्त सम्पन्न कराने हेतु बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं उपस्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बक्सर अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थिति के संबंध में न तो लिखित और न ही मौखिक अनुमति ली गई थी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केसठ का पदस्थापन हुआ है। योगदान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि दिनांक 12.03.2019 को योगदान करेंगें। अंचल अधिकारी, चक्की के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि अंचल मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा को निदेशित किया गया कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पदाधिकारी से कारण पृच्छा की मांग करें तथा दिनांक 11.03.2019 का वेतन भुगतान अवरूद्व रहेगा। तत्पश्चात आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की तैयारियों एवं विभिन्न विभागों की पूर्व क्रियान्वित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की निम्नवत समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए :–

1. निर्वाचन :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन किया जा चुका है। विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने कोषांग के दायित्वों का निर्वहन ससमय करना सुनिश्चित करेंगें।

समीक्षा के क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमरॉव से नगर परिषद क्षेत्र से पोस्टर एवं बैनर हटाए जाने की पृच्छा करने पर बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है। निदेशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता के आलोक में निम्न कार्रवाई सुनिश्चित करें :–

(i) कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत 24 घंटे के अन्दर पोस्टर एवं बैनर हटवाकर अनुपालन प्रतिवेदित करें।

(ii) सभी विभागों के विभागीय प्रधान को निदेशित किया जाता है कि कार्यालय एवं परिसर से 24 घंटे के अन्दर पोस्टर एवं बैनर हटवाकर अनुपालन प्रतिवेदित करें।

(iii) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सेक्टर का प्रतिवेदन (कुल चार प्रपत्र) मतदान केन्द्रवार दिनांक 13.03.2019 (बुधवार) तक निश्चित रूप से प्रतिवेदित करेंगें।

(iv) विगत विधान सभा आम निर्वाचन के दौरान कम मतदान पड़ने वाले मतदान केन्द्रों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने हेतु SVEEP कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराया जाना है। जिसके लिए NCC एवं NSS के कैडरों को संबंधित मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त किए जाने हैं। इस संदर्भ में दिनांक

10.03.2019 को NCC एवं NSS के साथ बैठक आहूत कर आवश्यक निदेश दिए गए है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि विधान सभा क्षेत्रवार कम मतदान पड़ने वाले मतदान केन्द्रों का रूट चार्ट तैयार कर दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ताकि NCC एवं NSS के कैडरों को प्रतिनियुक्त किया जा सके। साथ ही यह निदेशित किया गया कि प्रतिनियुक्त केडरों को उनके सम्बद्व मतदान केन्द्रों पर लोगों को जागरूक करने हेतु भ्रमण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायेंगे तथा एक पंजी संधारित करायेंगे जिसमें की जा रही कार्रवाई की प्रविष्टि की जायेगी।

(v) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराये हेतु प्रखण्ड क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित पैट्रोल पम्प मालिकों के साथ बैठक आहूत करें ताकि निर्वाचन के दौरान उपयोग में लाए जाने वाहनों को ईंधन की आपूर्त्ति में समस्या न हो। सम्पन्न बैठक की कार्यवाही निश्चिय रूप से निर्गत करें।

(vi) समीक्षा के क्रम में सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि Polling Party एवं Patrolling Party का प्रेषण विधानसभावार होगा अतएव मतदान केन्द्रों पर वाहनों के परिचालन को ध्यान में रखते हुए वाहनों के प्रकार को चिह्नित कर समुचित संख्या में वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसके लिए वाहनों का आकलन एवं रूट चार्ट अचूक रूप से दिनांक 13.03.2019 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(vii) समीक्षा के दौरान सभी सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध करानी है। यह सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ निम्नवत है :–

(A) रैम्प की सुविधा

(B) शौचालय की सुविधा :– प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर महिला एवं पुरूष अलग–अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना है तथा उस अनुरूप सइनेज भी लगाना है ताकि मतदाताओं की कोई असुविधा न हो। गत समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों के मतदान केन्द्रों में शौचालय की स्थिति के संदर्भ में जाँच कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया था। कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा से विद्यालयों में शौचालय की अद्यतन स्थिति के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कुल 336 नये शौचालय का निर्माण कराया जाना है जब कि उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय मिलाकर कुल 176 ही शौचालय का निर्माण कराया जाना है उच्च विद्यालयों में शौचालय निर्मित है। कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेशित किया गया कि शीघ्र अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित करें।

(C) पेयजल की सुविधा :– सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(D) बिजली की व्यवस्था:– सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था की जानी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वैसे मतदान केन्द्र जहाॅ बिजली की व्यवस्था नहीं उन मतदान केन्द्रों की सूची कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल को शीघ्र उपलब्ध करा दें। कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बक्सर को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कर लेंगे।